तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/2864/2006/डूंगरपुर** **सरकार बनाम कावा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थित–

1. श्रीमती अर्चना गौतम, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक–24.12.2025

यह रेफरेन्स राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा प्रेषित रेफरेन्स प्रकरण सं0 12/06/ रेफरेन्स निर्णय दिनांक 15–02–2006 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार, सीमलवाड़ा द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर के समक्ष एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि मौजा गोरादा के हाल आराजी खसरा नं0 1647 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा किस्म रा0ाा गत सैटलमेन्ट सम्वत् 2008 में खसरा नं0 909 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा किस्म नदी बिलानाम अंकित थी। उक्त गत खसरा नंबर 909 में से रकबा 3 बिस्वा हाल आराजी खसरा नं0 1647 में रकबा 3 बिस्वा भूमि भू–प्रबन्ध के दौरान सम्वत् 2014 में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हो गयी है। जबकि उक्त भूमि में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं होते हैं। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि को निरस्त किये जाने हेतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण में से कावा उपस्थित हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 15–02–2006 से वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हो जाने से तथा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/2864/2006/डूंगरपुर** **सरकार बनाम कावा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार प्रारम्भ से ही शून्य एवं बेअसर होने से भूमि को अप्रार्थीगण के खाते से खारिज करने की समुचित कार्यवाही हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये, रेफरेन्स स्वीकार कर अपनी राय के साथ रेफरेन्स राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है।

3– अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचित किया गया। जिसकी आदिनांक तक ए.डी. अप्राप्त, समयावधि मानकर तामील मानी जाती है। अप्रार्थी को बार–बार आवाजें लगवाई गई लेकिन बावजूद सूचना कोई भी उपस्थित नहीं होने से उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय रेफरेन्स पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दौराने बहस दोहराते हुये कथन किया है कि पूर्व में विवादग्रस्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन नाली दर्ज थी। नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15–08–1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना आवश्यक है। अन्त में विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स को विधि अनुसार स्वीकार करने का निवेदन किया।

5– हमने विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी व उस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन व परिशीलन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड नकल खतौनी आसामीवार मौजा गौरादा सम्वत् 1999 से 2008 में प्रश्नगत भूमि के पुराने खसरा सं0 909 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा नदी दर्ज अभिलेखित है उक्त आराजी में से रकबा 3 बिस्वा भूमि हाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/2864/2006/डूंगरपुर** **सरकार बनाम कावा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आराजी खसरा नं0 1647 में रकबा 3 बिस्वा भूमि भू–प्रबन्ध (सैटलमेन्ट) के दौरान सम्वत् 2014 में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज हो जाने से यह धारा 16, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत नियम विरूद्ध है। जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में गै0मु0 नदी के प्रयोजन की भूमि रही है जिसको अविधिक रुप से राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण के पक्ष में अंकित किया गया है। गै0मु0 नदी की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं रहती है किन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी अप्रार्थीगण के पक्ष में नियमों के विपरीत अंकित की गई है।

7– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 02–08–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः– *All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly.* उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए।

8– इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.- Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-

(ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

9– प्रश्नगत भूमि पूर्व में नदी की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/2864/2006/डूंगरपुर** **सरकार बनाम कावा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः–

All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.

10– उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा मण्डल के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है। इसलिए रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है।

11– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 1647 रकबा 3 बिस्वा मौजा गोरादा को अप्रार्थीगण के खाते में से कम करते हुए पुनः राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय खाते में पूर्व किस्म गैर मुमकिन नदी अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। इसके साथ ही अप्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित समस्त इन्द्राज निरस्त किये जाते हैं।

12– आदेश की सूचना विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य